(13)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 114/2020

सुरेश चन्द्र पुत्र श्री गुगनराम, जाति मेघवाल, निवासी अणगासर, पोस्ट आबूसर, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 26.11.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 28.10.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 114/2020 पर दिनांक 28.10.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/1843–1844 दिनांक 28.10.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक आरटीआई/374 दिनांक 09.11.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने इस कार्यालय मे एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना की अब उसे कोई आवश्यकता नही है और इस संबंध मे आवेदक कोई कार्यवाही नही चाहता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज योग्य है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु दिनांक 18.11.2020 को उपस्थित। अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके द्वारा प्रस्तुत प्रा0प0 खारिज किये जाने का निवेदन किया।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुन द्वारा पत्रांक आरटीआई/374 दिनांक 09.11.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने उनके कार्यालय मे एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना की अब उसे कोई आवश्यकता नही है और इस संबंध मे आवेदक कोई कार्यवाही नही चाहता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज योग्य है। प्रार्थी ने भी इस न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रकरण मे कोई कार्यवाही नही चाही है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 26.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं